संख्या–2925/xxxI(13)G-57(सू०अ०)/2012

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह रावत
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांक 28 अगस्त, 2012

विषयः– सूचना का अधिकार के अन्तर्गत लोक सेवकों की सम्पत्ति विवरण मांगे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सम्पत्ति विवरण की मांग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति द्वारा किये जाने पर आवेदक को 'सूचना' उपलब्ध कराने के लिए लोक प्राधिकारियों के लोक सूचना अधिकारियों को उक्त सूचना के प्रकटन के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता है।

2. राज्य सरकार के कार्मिकों के लिए उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 2002 के नियम 22 में कर्मचारियों के चल तथा अचल सम्पत्ति क्रय करने के सम्बन्ध में जो प्राविधान उपबन्धित है, वह निम्नवत है कि:–

" <u>नियम 22–चल, अचल तथा बहुमूल्य सम्पत्ति:–</u>

(1) कोई सरकारी कर्मचारी, सिवाय उस दशा के जबकि समुचित प्राधिकारी को इसकी पूर्व जानकारी हो, या तो स्वंय अपने या अपने परिवार के किसी सदस्य के नाम से पट्टा, रेहन, क्रय, विक्रय या भेंट द्वारा या अन्यथा न तो कोई अचल सम्पत्ति अर्जित करेगा और न उसे बेचेगा:

परन्तु किसी ऐसे व्यवहार के लिये, जो किसी नियमित और ख्याति प्राप्त (रिपुटेड) व्यापारी से विभिन्न व्यक्ति द्वारा सम्पादित किया गया हो, समुचित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

(2) प्रथम नियुक्ति के समय और तदपरान्त हर पाँच वर्ष की अवधि बीतने पर प्रत्येक सरकारी कर्मचारी सामान्य रूप से नियुक्त करने वाले प्राधिकारी को, ऐसी सभी अचल सम्पत्ति की घोषणा करेंगे, जिसका वह स्वंय स्वामी हो, जिसे उसने स्वंय अर्जित किया हो, या जिसे उसने दान के रूप में पाया हो या जिसे वह पट्टा या रेहन पर रखे हो, और ऐसे हिस्सों का या अन्य लगी हुई पूँजियों की घोषणा करेगा, जिन्हें वह समय–समय पर रखे या अर्जित करे, या उसकी पत्नी या उसके साथ रहने वाले या किसी प्रकार भी उस पर आश्रित उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा रखी गई हो या अर्जित की गई हो। इन घोषणाओं में सम्पत्ति, हिस्सों और अन्य लगी हुई पूँजियों के पूरे ब्यौरे दिये जाने चाहिए।

(3) समुचित प्राधिकारी, सामान्य या विशेष आज्ञा द्वारा किसी भी समय, किस सरकारी कर्मचारी को यह आदेश दे सकता है कि वह आज्ञा से निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसे चल या अचल सम्पत्ति का, जो उसके पास अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के पास रही हो या अर्जित की गई हो, और जो आज्ञा में निर्दिष्ट हो, एक सम्पूर्ण विवरण पत्र प्रस्तुत करें। यदि समुचित प्राधिकारी ऐसी आज्ञा दे तो ऐसे विवरण पत्र में उन साधनों के या उस तरीके के ब्यौरे भी सम्मिलित हों, जिसके द्वारा ऐसी सम्पत्ति अर्जित की गई थी। "

3. राज्य सरकार के कर्मचारी का सम्पत्ति विवरण निजी सूचना है। निजी सूचना, जिसका लोक गतिविधि से कोई सरोकार नहीं है, उसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1) (ज) में प्रकटन से सामान्यतः छूट है। उन परिस्थितियों में जब लोक सूचना अधिकारी अथवा अपीलीय प्राधिकारी को लोक सेवक की निजिता की तुलना में वृहत्तर लोकहित की दशा में निजी प्रकृति की सूचना प्रकटन से छूट नहीं होगी। इस सन्दर्भ में धारा 8(1) (ज) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का उपबन्ध अवलोकनीय है कि:—

"सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से सम्बन्धित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से सम्बन्ध नहीं रखता है या जिससे व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक की, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है:

परन्तु ऐसी सूचना के लिये, जिसको, यथास्थिति, संसद या किसी विधान मण्डल को देने से इंकार नहीं किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा।"

4. राज्य सरकार ने शासनादेश संख्या—192/XXX(2)/2012—25(27)2002 दिनांक 26.03.2012 से लोक सेवकों की सम्पत्ति विवरण को सार्वजनिक रूप से प्रकटन करने का निर्णय लिया है। उक्त शासनादेश द्वारा वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाने वाला सम्पत्ति का विवरण अब आवेदन करने पर आवेदक को सुलभ कराया जा सकता है। राज्य के कर्मचारियों/अधिकारियों की सम्पत्ति के विवरण से इतर अन्य निजी सूचनाएं भी राज्य सरकार के विभागों में धारित होती है। राज्य सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों की अन्य निजी सूचनाएं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1) (ज) के प्राविधानों के अनुसार प्रकटन से छूट प्राप्त है, सिवाय उस स्थिति में जब लोक सूचना अधिकारी अथवा अपीलीय अधिकारी निजी सूचना की तुलना में वृहत्तर लोक हित के दृष्टिगत निजी सूचना के प्रकटन का निर्णय लें।

5. राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग का शासनादेश संख्या—1895/XXXI(13)G—2012—61(सू0अ0)/2012, दिनांक 08—06—2012 निर्गत किया गया है, जिसके द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में प्रयुक्त 'सूचना' शब्द की व्याख्या को सभी सम्बन्धित के उपयोग के लिए परिचालित किया गया है। सुलभ सन्दर्भ के लिये मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संगत अंश निम्नांकित रूप से उद्धरित किये जा रहे हैं:—

"आर0टी0आई0 में सभी सूचना जो उपलब्ध और विद्यमान है तक पहुंच का प्रावधान है। यह अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (च) और (त्र) के अन्तर्गत 'सूचना' और 'सूचना का अधिकार' की परिभाषाओं और धारा 3 के सम्मिलित पठन से स्पष्ट